न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 571/2018

प्रार्थीगणः— **बनाम** **अप्रार्थीगणः—**

1. देवी पत्नि स्वर्गीय श्री चेनाराम जी, उम्र 70 वर्ष,
2. राजाराम पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम
3. टमाराम पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम
4. प्रवीण पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम
5. बुद्वाराम पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम

   तमाम जातिगण घांची, निवासीगण गुन्दोज, तहसील व जिला पाली (राज.)

1. मोहनलाल पुत्र श्री खीमाराम, उम्र बालिग
2. सुरेश पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र बालिग
3. रमेश पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र बालिग
4. दिलीप पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र बालिग

   तमाम जातिगण घॉची, निवासीगण गुन्दोज, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
5. भुमिधारी तहसीलदार, पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः—

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री मदन दास वैष्णव,विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम,

—:निर्णयः— **दिनांक 30/01/2020**

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। प्रार्थीगण के हक अधिकार की खातेदारी भुमि ग्राम गुन्दोज—2, पटवार क्षेत्र गुन्दोज—2, भु—अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गुन्दोज, तहसील व जिला पाली के खसरा संख्या 1486 (चौदह सौ छियासी) कुल रकबा 3.07 बिघा, किस्म सेवज दोयम भूमि आई हुई है। उपरोक्त भुमि वाद की मुख्य विषय वस्तु है। वाद के आगामी पदो मे उपरोक्त भुमि का "वादग्रस्त भुमि" के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भुमि प्रार्थीगण के हक, अधिकार व आधिपत्य व कब्जे की भुमि है। तथा प्रार्थीगण ही वादग्रस्त भुमि का लगातार उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 04 खाने कमाने व परिवार के पालन पोषण के उद्वेश्य से बाहर रहते है, उसका बेजा फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण आज से करीब 1 माह पुर्व वादग्रस्त भुमि की धोरा पाली को हटाने का प्रयास कर वादग्रस्त भुमि मे कब्जा करने की कोशिश करने लगे तत्पश्चात प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा बाद मापचौक कर वर्षो पुर्व नियमानुसार लगी हुई धोरा पाली को हटाने का प्रयास करने हेतु अप्रार्थीगण को ओलबा दिया तो अप्रार्थीगण मरने व मारने व लड़ाई झगड़ने करने पर उतारू हो गये तत्पश्चात् पुनः आज से पन्द्रह दिवस पुर्व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के ही जाति कुटुम्ब गांव के होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा फिर स्वयं व सामाजिक स्तर पर समझाईस करने की भी कोशिश की तथा वादग्रस्त भुमि मे दखलअंदाजी करने से मना किया, परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा हर बार वादग्रस्त भुमि मे दखलअंदाजी करने की कोशिश

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

करते रहते है, इस कारण अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भुमि मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने से रोके जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जा रहा है, वाद के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भुमि के रूप स्वरूप भौतिक स्थिती मे जोर जबरदस्ती परिवर्तन किया जाता है तो वादग्रस्त भुमि की पुर्व की स्थिती बहाल किये जाने की इस्तदुआ भी प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है, तथा उक्त अनुरूप वादग्रस्त भुमि मे पुर्व की स्थिती बहाल किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

वादग्रस्त भुमि के खातेदार प्रार्थीगण के पिता/पति चेनाराम जी थे, चेनाराम जी के बाद उत्तराधिकार के विधिक अधिकारों के अनुरूप प्रार्थीगण वादग्रस्त भुमि के वास्तविक स्वामी, मालिक व अधिकारी हुए, तथा पुर्व से अब तक राजस्व रेकर्ड भी वादग्रस्त भुमि बाबत प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिजन के नाम से दर्ज है, अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भुमि बाबत किसी भी प्रकार का हक अधिकार व आधिपत्य नहीं है, प्रार्थीगण के खाने कमानें के उद्येश्य से बाहर रहने का बेजा फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भुमि पर दखलअंदाजी की कोशिश की जाती रही है। वादग्रस्त भुमि किसी भी रूप से अप्रार्थीगण के अधिकार व आधिपत्य की नही हैं। प्रार्थीगण द्वारा पुर्व से अब तक वादग्रस्त भुमि का निर्विवाद रूप से उपयोग व उपभोग किया जाता रहा, अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा कई बार समझाईश भी की गयी। परन्तु अप्रार्थीगण अपने प्रभाव व सख्याबल पर प्रार्थीगण की वादग्रस्त भुमि हड़पना चाहते है, अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिचार को शाश्वत व्याद्वेश द्वारा रोका जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भुमि वादीगण के हक अधिकार, आधिपत्य व कब्जे की है, प्रार्थीगण ने लाखो रूपये खर्च कर वादग्रस्त भुमि को उपयोगी व उपजाउ बनाया, वादग्रस्त भुमि के विधिक व वास्तविक स्वामी प्रार्थीगण ही है, वादग्रस्त भुमि के खातेदारी भी प्रार्थीगण के नाम से ही दर्ज है, उपरोक्त अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे पुर्णतया साबित है।

वादग्रस्त भुमि मे प्रार्थीगण की हैसीयत सिर्फ एक अतिचारी की है, स्थगन आदेश के अभाव मे अप्रार्थीगण वादग्रस्त भुमि के भौतिक व राजस्व रूप को परिवर्तित कर सकते है, जिससे पक्षकारान मे और अधिक वाद विवाद बढ़ेगा, इसके अतिरिक्त स्थगन आदेश पारित किया जाता है, तो प्रार्थीगण अपने विधिक वास्तविक अधिकारों को सुरक्षित रख पायेगा, इस कारण सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में पुर्णतया साबित है। प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर वादग्रस्त भुमि को उपयोगी व उपजाउ बनाया है, वादग्रस्त भुमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की है, वर्तमान मे तिल की फसल भी बोई हुई है, स्थगन आदेश के अभाव में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भुमि का रूप एकदम परिवर्तित कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को अत्यधिक क्षति होगी। जिसका मुल्याकन मुद्रा मे भी संभव नहीं है। इस कारण अपुरर्णिय क्षति का बिन्दु पुर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। उपरोक्त अनुसार वादगस्त भुमि बाबत प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार तथा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रभाव कि डिक्री पारित फरमावे कि मूल वाद क निर्णय तक अप्रार्थीगण को पांबद करे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे किसी भी प्रकार की बाधा रूकावट व दखलअंदाजी नहीं करें, व न ही धोरा पाली को तोड़ने का प्रयास करें तथा न ही उक्त कृत्य अपने नौकर, एजेण्ट, मित्र इत्यादि से करावे, प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश भी न करे, तथा वादग्रस्त भूमि की मौके वव रेकर्ड की स्थिति मे भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें। अन्य अनुतोष बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जो श्रीमान उचित समझे प्रदान करावें।

Rahul
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत कब्जे के अभाव में कत्तई पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज के होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण मे वर्णित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा वर्णित आराजी को लेकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानून की मंशा के खिलाफ एवं कब्जे की जानकारी के अभाव में खिलाफ कानून पेश किया होने से मय खर्चा व हर्जा के काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे कथन सरासर गलत, झूठ एवं खिलाफ कानून कब्जे के अभाव में बिना किसी साक्ष्य सबूत के अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत पेश किया होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1485 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर सीमा ज्ञान के अभाव में अप्रार्थीगण द्वारा लगाये पीढ़ियों पुराना मौके पर स्थित धोरे को बिखेरकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे मिलाने के उद्देश्य से श्रीमान के न्यायालय मे वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव मे एवं सीमा ज्ञान के अभाव मे कानून की मंशा के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ताकि ऐसे प्रार्थना पत्र पर श्रीमान के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर उक्त स्थगन आदेश की आड़ मे पुलिस से मिलावट कर अप्रार्थीगण की पड़ौस में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1485 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा की माठ पर लगे पुराने धोरों को बिखेरकर प्रार्थीगण नाजायज कब्जा कर सके तो कानून एवं न्याय की भावना के अनुरूप नहीं है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में तीनो तत्व प्राथमिक दृष्टि से पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि मिसिंग होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा वो हर्जा के कानूनन काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त फिकरे मे वर्णित कथनोनुसार नाप चौक बाबत किसी कदर की कोई दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है मात्र गलत एवं झुठ कयास के आधार पर कानून की मंशा के खिलाफ अर्ज की होने से अस्वीकार है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन गलत, झूठ एवं बनावटी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे अर्ज की होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनोंनुसार प्रार्थीगण द्वारा बताई जाने वाली वादग्रस्त आराजी पर कतई कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि प्रार्थीगण के अलावा दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त होना बताया गया है जबकि उक्त दीगर व्यक्तियों को वाद वादीगण मय हाजा स्थगन प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया जाने से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कानूनन काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण के पक्ष मे किसी तरह को कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एवं न ही प्रार्थीगण को अकथनीय हानि होने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खर्चा वो हर्जा के खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा मात्र कयास के आधार पर कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा बताई जाने वाली अपनी वादग्रस्त आराजी के सीमा ज्ञान के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो तत्व प्राथमिक दृष्टि से पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि अपने प्रार्थना पत्र में मिसिंग होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा वो हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

4- बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

Rahul
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के हक अधिकार की खातेदारी भुमि ग्राम गुन्दोज–2, पटवार क्षेत्र गुन्दोज–2, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गुन्दोज, तहसील व जिला पाली के खसरा संख्या 1486 (चौदह सौ छियासी) कुल रकबा 3.07 बिघा, किस्म सेवज दोयम भूमि आई हुई है। तथा खसरा संख्या 1485 भुमि प्रतिवादी की है। प्रतिवादीगण मेरी माठ पर कब्जा करने चाहते है। उक्त भुमि मे प्रार्थीगण की हैसीयत सिर्फ एक अतिचारी की है, स्थगन आदेश के अभाव मे अप्रार्थीगण वादग्रस्त भुमि के भौतिक व राजस्व रूप को परिवर्तित कर सकते है, जिससे पक्षकारान मे और अधिक वाद विवाद बढ़ेगा, इसके अतिरिक्त स्थगन आदेश पारित किया जाता है, तो प्रार्थीगण अपने विधिक वास्तविक अधिकारों को सुरक्षित रख पायेगा, इस कारण सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में पुर्णतया साबित है। अप्रार्थीगण को पांबद करे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे किसी भी प्रकार की बाधा रूकावट व दखलअंदाजी नहीं करें, व न ही धोरा पाली को तोड़ने का प्रयास करें तथा न ही उक्त कृत्य अपने नौकर, एजेण्ट, मित्र इत्यादि से करावे, प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश भी न करे, तथा वादग्रस्त भूमि की मौके वव रेकर्ड की स्थिति मे भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें।

6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमारा इनकी भुमि से कोई लेना देना नहीं है। जो काबिल काश्त है वह पक्षकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत कब्जे के अभाव में कत्तई पोषणीय नहीं होने से काबिज खारिज के होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण मे वर्णित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा वर्णित आराजी को लेकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानून की मंशा के खिलाफ एवं कब्जे की जानकारी के अभाव में खिलाफ कानून पेश किया होने से मय खर्चा व हर्जा के काबिल खारिज के है। अप्रार्थीगण की पड़ौस में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1485 रकंबा 03 बीघा 06 बिस्वा की माठ पर लगे पुराने धोरों को बिखेरकर प्रार्थीगण नाजायज कब्जा कर सके तो कानून एवं न्याय की भावना के अनुरूप नहीं है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में तीनो तत्व प्राथमिक दृष्टि से पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि मिसिंग होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा वो हर्जा के कानूनन काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन गलत, झूंठ एवं बनावटी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे अर्ज की होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनोंनुसार प्रार्थीगण द्वारा बताई जाने वाली वादग्रस्त आराजी पर कतई कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि प्रार्थीगण के अलावा दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त होना बताया गया है जबकि उक्त दीगर व्यक्तियों को वाद वादीगण मय हाजा स्थगन प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया जाने से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कानूनन काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण के पक्ष मे किसी तरह को कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एवं न ही प्रार्थीगण को अकथनीय हानि होने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खर्चा व हर्जा के खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा मात्र कयास के आधार पर कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा बताई जाने वाली अपनी वादग्रस्त आराजी के सीमा ज्ञान के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो तत्व प्राथमिक दृष्टि से पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि अपने प्रार्थना पत्र में मिसिंग होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा वो हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

7- बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। वकील

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतित हो की अप्रार्थीगण द्वारा दखल अंदाजी एवं माठ पर कब्जा करना चाहते है। जिससे कोई प्रार्थी को नुकसान हो।

8- उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते है। प्रार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य,सबूत,दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये जिस माठ की प्रार्थी बात कर रहे है वह माठ प्रार्थी स्वयं के खसरा मे आती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी किया जावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.17 11:33:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: